प्रेस नोट ***30/09/2025***

जनपद मऊ में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल/गिरफ्तार, तीन अन्य सहित कुल 04 बदमाश गिरफ्तार, मौके से 02 अदद तमन्चा, 03/02 खोखा/जिन्दा कारतूस, लुट की 17150 रुपये व दो मोटरसाइकिल इत्यादि बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 23.09.2025 को समय लगभग 12.00 बजे दिन आवदेक राकेश अति लघुशाखा पर मौजूद था कि काले रंग की गाडी से तीन नाम पता अज्ञात व्यक्ति द्वारा 49000 रू0 यूनियन बैंक का अति लघुशाखा चकजाफरी गेट के पास से छीन कर भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 356/2025 धारा 309(4) पंजीकृत किया गया था जिसमें गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी थी। उक्त टीम के द्वारा दिनांक 29.09.2025 को उक्त मुकदमे से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को दिनांक 29.09.2025 समय करीब 8.10 बजे बाल कल्याण अधिकारी के संरक्षण में लिया गया जिसके पास 2150 रूपये बरामद हुए पैसों के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि अति लघु शाखा मे लूट से प्राप्त रूपयो मे से मुझे 5000 रूपये हिस्से मे मिला था जिसमें से 2150 रूपये शेष बचा था और बाकी रूपये खर्च कर दिया हो गया था जिसे बरामद किया गया व एक अदद मोबाइल Realme आसमानी तथा लूट में प्रयुक्त एक अदद मो.सा.राइडर UP70HH 8305 बरामद हुआ जिसको अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे ई चालान एप से सीजकर थाना परिसर मे सन्तरी प्रहरी की निगरानी मे खड़ा कराया गया। बाल कल्याण अधिकारी के संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी से उक्त घटना के सम्बन्ध में पूछ ताछ किया गया तो बताया कि दिनाँक 23.09.2025 को मै अपने अन्य 04 साथियो के साथ मिलकर ग्राम चकजाफरी गेट के सामने स्थित यूनियन बैंक की अतिलघुशाखा मे मेरी मोटरसाईकिल राईडर UP70HH 8305 से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके कारण मै आप लोगो को देखकर पकड़े जाने की डर से भाग रहा था कि पकड़ा गया कि घटना मे संलिप्त अन्य चारो साथियो का नाम व पता पूछा गया तो उनका नाम क्रमशः 1. राजन यादव पुत्र स्व.छतरू यादव निवासी कोटवा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 2. आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी नखतपुर थाना मरदह गाजीपुर 3. सर्वेश यादव पुत्र स्व.सुरेश यादव निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 4. नवनीत सिंह उर्फ अर्पित पुत्र कमलेश सिंह निवासी बढुआ गोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ बताया। बाल अपचारी उपरोक्त से घटना के बारे मे बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि मै और राजन यादव पुत्र स्व.छतरू यादव निवासी कोटवा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हिरोहोण्डा स्पलेण्डर मो.सा.से घूमकर रैकी किये थे तथा उसके बाद 1. सर्वेश यादव पुत्र स्व. सुरेश यादव निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 2. नवनीत सिंह उर्फ अर्पित पुत्र कमलेश सिंह निवासी बढुआ गोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 3. आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी नखतपुर थाना मरदह गाजीपुर के साथ चकजाफरी गेट के सामने युनियन बैंक अतिलघु शाखा मे घटना को अंजाम दिये उक्त प्रकाश में आये लूट के अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु गठित की गयी टीम द्वारा तलाश व सुरागरसी पतारसी करते हुए हम लोग क्षेत्र मे बढ रही आपराधिक घटनाओ व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के बारे मे बात चीत कर रहे थे कि मामूरा मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि लग्गूपुर की तरफ से व्यक्ति सवार होकर सौसरवां भैसंहा होते हुए 04 मोटरसाइकिल से 02 भुजही की तरफ से जाने वाले हैं ये लोग वहीं व्यक्ति है जिन्होने चकजाफरी में लूट की घटना को अन्जाम दिये थे इनके पास अवैध असलहा भी है मुखबीर के इस सूचना पर तत्काल हम सभी पुलिस वाले अपने अपने साधनों से मय मुखबिर के बताये हुए आने वाले रास्ते पर पहुंचे और लुक छिपकर बैठ गये कि कुछ देर बाद समय करीब 3.06

बजे भोर मेंमोटरसाइकिलें आती दिखाई दी 02 कि हम पुलिस वालो ने उनको रोकने का इशारा किये कि उक्त मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयाश किये कि घबराहट में एक मो.सा. पर सवार दो व्यक्ति अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे फिसलकर गिर गये मोसे गिरे बदमाश को हम .सा. पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उक्त अभियुक्त द्वारा हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे जिसमें मै प्रभारी निरीक्षक व उ0नि0 सुरजीत सिंह बाल बाल बचे गठित पुलिस टीम द्वारा सिखलाई गयी तरीको से आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायर किया गया जिससे अभियुक्त गण की तरफ से कराहने की आवाज आयी तब देखा गया तो एक बदमाश गिरा पड़ा हुआ था जिसके पैर से रक्त स्राव हो रहा था तब तक पुलिस टीम द्वारा उन बदमाशो को चारो तरफ से घेर घार कर हिकमत अमली से बदमाशो को चेतवानी देते हुए कहा गया कि यदि अब किसी ने गोली चलाई तो यही ढेर कर दिये जावोगे अपने को घिरते हुए देखकर तीनो बदमाशो ने अपने हाथ ऊपर खड़ा कर लिये जिससे बारी बारी से नाम पता पूछा गया तो जिसके पैर में गोली लगी थी उसने अपना नाम राजन यादव पुत्र स्व छतरू यादव निवासी कोटवा 0थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष बताया 22 दुसरे नें अपना नाम नवनीत सिंह उर्फ अर्पित पुत्र श्री कमलेश सिंह निवासी बढ़ुआ गोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 25 तीसरे ने अपना नाम सर्वेश यादव पुत्र स्वसुरेश यादव निवासी पिपरी मडैया थाना . सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 21 और चौथे ने अपना नाम आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया उक्त अभियुक्त गण के पास से दो अदद 315 बोर अवैध तमंचा, तीन अदद फायर शुदा खोखा कारतूस 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद मोटरसाईकिल हिरो होण्डा स्पेलेन्डर जिसका नं0 क्रमशः नं0 UP55B2526 व UP 67 A 9722 व तीन अदद मोबाईल बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया । मौके पर घायल अभियुक्त को जरिये थाना के सेकेण्ड मोबाईल UP54G0252 से उ0नि0 अनिल सिंह मय हमराह के दवा ईलाज हेतु सीएचसी मु0बाद गोहना भेजवाया गया । फारेंसिक टीम बुलाकर घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया । फारेंसिक के माध्यम से महस्व पूर्ण चीजें कब्जा पुलिस लिया गया।

मुठभेड़ में घायल अभियुक्त का विवरण

1. राजन यादव पुत्र स्ववर्ष 22 छतरू यादव निवासी कोटवा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 0 (बांये पैर में घुटने के नीचे चोट खुनालूद)

अपराधिक इतिहास राजन यादव पुत्र स्व0 छतरू यादव

I. मु0अ0सं0 051/2018 धारा 392, 411 IPC थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
II. मु0अ0सं0 094/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
III. मु0अ0सं0 572/2017 धारा 379, 411, 414, 419, 420 IPC थाना कोतवाली जनपद मऊ
IV. मु0अ0सं0 621/2017 धारा 379, 411, 414, 413, 419, 420 IPC थाना कोतवाली जनपद मऊ
V. मु0अ0सं0 654/2017 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 IPC थाना कोतवाली जनपद मऊ
VI. मु0अ0सं0 655/2017 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ
VII. मु0अ0सं0 055/2018 धारा 307 IPC थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
VIII. मु0अ0सं0 099/2018 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
IX. मु0अ0सं0 642/2019 धारा 307, 41, 411, 414, 467, 468 IPC थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
X. मु0अ0सं0 643/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
XI. मु0अ0सं0 526/2017 धारा 379, 411, 413, 414 IPC थाना कोतवाली जनपद मऊ

XII. मु0अ0सं0 593/2017 धारा 379, 411, 414, 419, 420 IPC थाना कोतवाली जनपद मऊ
XIII. मु0अ0सं0 078/2021 धारा 392, 411 IPC थाना कोतवाली जनपद मऊ
XIV. मु0अ0सं0 356/2025 धारा 310(2), 317(2), 342(2), 345(3) BNS एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
XV. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण का विवरण

1. नवनीत सिंह उर्फ अर्पित पुत्र श्री कमलेश सिंह निवासी बढ़ुआ गोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 25

अपराधिक इतिहास सर्वेश यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव

I. मु0अ0सं0 356/2025 धारा 310(2), 317(2), 342(2), 345(3) BNS एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
II. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स

2. सर्वेश यादव पुत्र स्वसुरेश यादव निवासी पिपरी मडैया थाना सरायलखन्सी जनपद. मऊ उम्र करीब 21वर्ष

अपराधिक इतिहास सर्वेश यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव

I. मु0अ0सं0 343/2022 धारा 8/20 NDPS Act थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
II. मु0अ0सं0 665/2020 धारा 394 IPC थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
III. मु0अ0सं0 754/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
IV. मु0अ0सं0 356/2025 धारा 310(2), 317(2), 342(2), 345(3) BNS थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
V. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स

3. नाम आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह

I. मु0अ0सं0 228/2021 धारा 323, 325, 427, 504, 506 IPC थाना मरदह जनपद गाजीपुर
II. 202/2025 धारा 121(1), 132, 324(4), 351(3), 352 BNS थाना मरदह जनपद गाजीपुर
III. मु0अ0सं0 356/2025 धारा 310(2), 317(2), 342(2), 345(3) BNS थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
IV. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स

बरामदगी का विवरण

- दो अदद 315 बोर अवैध तमंचा
- तीन अदद फायर शुदा खोखा कारतूस 315 बोर
- दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- लूट का कुल 17150 रूपया बरामद होना

- एक अदद मोटरसाईकिल नं0 UP55B2526 हिरोहोण्डा स्पलेण्डर
- एक अदद मोटरसाईकिल नं0 UP67A 9722 हिरोहोण्डा स्पलेण्डर
- तीन अदद मोबाईल अलग अलग अभियुक्तों से बरामद हुआ विवरण फर्द अंकित है

गिराफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. कमल कान्त वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ।
2. उ0नि0 सुरजीत सिंह (हल्का उ0नि0)
3. उ0नि0 वैभव कुमार पाण्डेय (सहायक हल्का उ0नि0)
4. का0 मनीष यादव (हमराह SHO)
5. का0 हरिकेश (हमराह SHO)
6. का0 चन्द्रभान (हमराह SHO)
7. हे0का0 अखिलेश यादव (हमराह हल्का उ0नि0)
8. का0 अमर प्रताप सिंह (हमराह हल्का उ0नि0)
9. का0 अवनीश सोनकर (हमराह सहायक उ0नि0)

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त, देवदत्त पुरी पुत्र कन्हैया पुरी निवासी मुंगेसर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ व थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त तेज प्रताप पाण्डेय पुत्र अखंड प्रताप पाण्डेय निवासी बहरामपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.09.2025 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय एण्टी रोमियो टीम के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल / कालेज , मन्दिर ,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया जिसमें 02 पहिया वाहन पर तेज रफतार ,मनचले लड़के व स्टण्टबाजी करते हुये मोटरसाइकिल सवारों, स्कूल की लड़कियों को परेशान करने वाले तथा विद्यालय के आस-पास स्टंट करने वालो की चेकिंग की गयी। तीन सवारी बैठकर तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा स्कूल के आसपास आने जाने वाली लड़कियों को देखकर हरकते करने वालो के विरूद्ध विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

जिसमें जनपद के समस्त थानों द्वारा चेकिंग के दौरान 73 बन्ध पत्र भरवाये गये उसी क्रम में वाहन चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान गलत पाये जाने पर 26 गाडियों का चालान तथा 02 वाहन सीज किया गया।

थानावार कार्यवाही निम्नवत है।–

1. थाना दक्षिण टोला- चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को 48 का बन्ध पत्र भरवाये गये। उसी क्रम मे वाहन चेकिंग की गयी। दौराने चेकिंग अवैध पाये जाने पर 16 वाहनों का चालान किया तथा 02 वाहन सीज किया गया।
2. थाना मुहम्मदाबाद– मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 15 का बन्ध पत्र भरवाया गया तथा 05 वाहनो का चालान किया गया।

3. थाना रामपुर- थाना रामपुर द्वारा 10 लोगो का बन्ध पत्र व 05 वाहन चालान किया गया।